

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(8)2024-25/विकास/प्रमुखसं/ 7143

दिनांक 24.10.2024

कार्यालय आदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ2(11)2024 / कार्मिक/प्रमुखसं/ 09721/ 8642603 दिनांक 23.09.2024 द्वारा बालाजी पौधशाला (झालाना) एवं जवाहर नगर पौधशाला रेंज जयपुर प्रादेशिक कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर से रेंज जयपुर शहर कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। अतः फार्म वन विधा के अन्तर्गत लेखा मद 4406-01-800-(01)-00-63-वृक्षारोपण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 5696 दिनांक 20.09.2024 द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर के पत्रांक 9211 दिनांक 23.10.2024 से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है।

Name of CCF	Name of Div.	लेखा मद	कार्य का प्रकार	पूर्व में आवंटित बजट (दर 9.02 प्रति पौधा)		संशोधित बजट आवंटन (दर 9.02 प्रति पौधा)	
				भौतिक (लाखों में)	वित्तीय (लाखों में)	भौतिक (लाखों में)	वित्तीय (लाखों में)
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर	4406-01-800-01-63-वृक्षारोपण	For raising of plants (upto 12 months)	0.70	6.314	0	0.00
मुख्य वन संरक्षक जयपुर	उप वन संरक्षक, जयपुर	4406-01-800-01-63-वृक्षारोपण	For raising of plants (upto 12 months)	18.00	162.36	18.70	168.674

अन्य शर्तें पूर्व संदर्भित पत्र के अनुसार यथावत रहेगी।

(अनुमोदित) भारद्वाज
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(8)2024-25/विकास/प्रमुखसं/ 7144-52

दिनांक 24.10.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / वन्यजीव, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर
4. उप वन संरक्षक, जयपुर / वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(सुशील कुमार सैनी)
उप वन संरक्षक, (आयोजना)
राजस्थान, जयपुर